न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 85/2011 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. मदनलाल पुत्र स्व0 कलावती वेवा लटूरिया जाति धाकड निवासी कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।(मृतक)
   1/1. सुमिता वेवा मदनलाल
   1/2. राजेन्द्र पुत्र मदनलाल
   1/3. चन्द्रपाली पुत्र मदनलाल
   1/4. अनीता पुत्री मदनलाल
   1/5. लक्ष्मी पुत्री मदनलाल
   1/6. राधा पुत्री मदनलाल
   } जाति धाकड निवासी कस्बा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये जिला कलक्टर भरतपुर।
2. तहसीलदार तहसील वैर।

..... असल रेस्पोंडेंट

3. गोमा वेवा लालचन्द
4. ईश्वर पुत्र लालचन्द
   } जाति धाकड निवासी नयावास बस स्टैण्ड के पास वैर तह0 वैर।
5. प्रेम पुत्री लटूरिया पत्नी शिवजी जाति धाकड निवासी मुहारी तहसील वैर।
6. शकुन्तला पुत्री लटूरिया पत्नी रामदयाल जाति धाकड निवासी ब्रहम्वाद तहसील बयाना।
7. राममूर्ति
8. गिर्राज
9. बहादुर
   } पुत्रान विमला पुत्री लटूरिया पत्नी रामकिशन जाति धाकड नि0 खोहरा तह0 बयाना

..... तरतीवी रेस्पोंडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, वैर दिनांक 06.08.02 मि.नं. 257/06 उनवानी कलावती बनाम सरकार।

उपस्थितिः–

1. श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी वकील अपीलांट।
2. श्री मोहन सिंह राणा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक–26.02.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2002 के विरूद्ध पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा एक वाद विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 2483 रकवा 02 बीघा 10 विस्वा एवं 3109/2487 रकवा 13 विस्वा वाके ग्राम कोटा पट्टी वैर तहसील वैर पर अपीलाण्ट/वादीगण संवत 2012 से पूर्व के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं। खसरा नम्बर 2483 का कुल रकबा 03 बीघा 18 विस्वा है, जो मौके पर एक ही शक्ल का है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने अपीलाण्ट/वादीगण को केवल 01 बीघा 8 विस्वा पर ही खातेदार दर्ज कर रखा है एवं शेष आराजी को चारागाह अंकित किया हुआ है। अपीलाण्ट/वादीगण को रैस्पो0/प्रतिवादीगण ने दिनांक 25.08.1996 को खुलेआम धमकी दी कि उक्त आराजी में फसल को निलाम कर देगें। अतः दावा दायर कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2483 तथा 3109/2487 वाके ग्राम कोटा पट्टी वैर का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड में हो रहे चारागाह के गलत इन्द्राज को कलमजन किया जाकर रैस्पो0/प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश, अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कायदे कानून व रूयेदाद मिसिल होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा अपीलाण्ट कानूनी सिद्धान्तों के अनुरूप परीक्षण ना कर सरसरी तौर पर खारिज करने की आज्ञा देने में त्रुटि की है। विचाराधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चार तनकीयात कायम की गई थी लेकिन प्रत्येक तनकीयात निर्णय ना करके अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र एक पैरा में ही निर्णय करते हुए दावा अपीलाण्ट आदेश 20 नियम 5 जा0दी के विरूद्ध जाकर खारिज करने में त्रुटि की है। जबकि कानून का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि यदि दावे में तनकीयात न्यायालय द्वारा बनाई गई हैं तो प्रत्येक तनकी पर अपना मत देकर और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन कर तनकी का निर्णय किया जाना चाहिए। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का संवत 2012 से पूर्व का कब्जा काश्त है एवं राजस्व रिकार्ड में अपीलाण्ट/वादी की माता कलावती को 01 बीघा 8 विस्वा पर गैर खातेदार दर्ज किया हुआ है एवं शेष आराजी को चारागाह अंकित किया हुआ है, जो खिलाफ मौका अंकित है, जबकि मौके पर उक्त विवादित खसरा नम्बर 2483 पर कोई डिमारकेशन नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए, अपीलाण्ट का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने जवावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2002 की अपील लगभग 09 वर्ष 01 माह बाद दिनांक 02.09.2011 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है एवं देरी से पेश करने का कोई उचित कारण भी स्पष्ट नहीं किया है। अतः अपील अपीलाण्ट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधि अनुरूप निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2002 की अपील इस न्यायालय में दिनांक 02.09.2011 को करीब 09 वर्ष 01 माह की देरी से धारा 5 मिंयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र (मय शपथ–पत्र) के साथ प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपील पेश करने में हुई देरी का कोई तर्कसंगत कारण स्पष्ट नही किया गया है। चूंकि अपीलाधीन निर्णय, अपीलाण्ट पक्ष को पूर्णतः सुना जाकर, उनकी पूर्ण जानकारी में पारित हुआ है, अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रतिदिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण वांच्छित था, जो नहीं दिया गया है। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

6. चूंकि गुणावगुण पर भी सुनवाई की जा चुकी है। अतः इसकी विवेचना भी हम आवश्यक समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श –1 जमाबन्दी संवत 2051–54 में विवादित आराजी मकबूजा चारागाह दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श–2 लगायत 10 नकल खसरा गिरदावरी संवत 2019–21 2023–25, 2027–30, 2031–34, 2035–37, 2039–42, 2043–46, 2047–50, 2051–54 में भी विवादित आराजी चारागाह दर्ज है एवं किसी की कोई काश्त अंकित नहीं है। अपीलाण्ट/वादीगण ने अपने कथन कि विवादित भूमि पर उनका संवत 2012 से कब्जा काश्त है, की पुष्टि में संवत 2012 एवं इससे पूर्व का कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे विवादित भूमि पर उनका कब्जा काश्त साबित होता हो। अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। लिहाजा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन एवं गलत तथ्यों पर है जो काबिल खारिजी है। अतः अपील अपीलांट सारहीन खारिज योग्य है।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2002 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर